भारत सरकार **लोक सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 3901**

(वाणिज्य विभाग)

दिनांक 11 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

सुपारी का आयात

3901. **श्री कोटा श्रीनिवास पूजारी:**

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि न्यूनतम आयात मूल्य और उच्च सीमा-शुल्क से बचने के लिए "रोस्टेड नट" जैसे वैकल्पिक एचएसएन कोडों के तहत गलत वर्गीकरण करके इंडोनेशिया, म्यांमार, श्रीलंका और बांग्लादेश से भारत में कम गुणवत्ता वाली सुपारी का भारी मात्रा में आयात किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इसके कारण कर्नाटक के तटीय और मलनाड क्षेत्रों में सुपारी उत्पादकों के लिए कीमतों में भारी गिरावट आई है और चाली तथा राशी जैसी भारतीय किस्मों की ख्याति कम हो रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का सुपारी के सभी आयात को एकल एचएसएन कोड के तहत सख्ती से पुनर्वर्गीकृत करने और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा-शुल्क बोर्ड द्वारा वैकल्पिक कोडों के दुरुपयोग की संपरीक्षा करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का गुणवत्ता जांच के लिए सभी पत्तनों और भूमि सीमाओं पर सीमा-शुल्क और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा प्रवर्तन को बढ़ाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का घरेलू किसानों के हितों की रक्षा के लिए मुक्त व्यापार समझौतों की कमियों की समीक्षा करने और सुपारी के न्यूनतम आयात मूल्य में संशोधन करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्यमंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क से ड.) सरकार ने अप्रैल 2025 में, भुनी हुई सुपारी की आयात नीति में, लागत बीमा और भाड़ा (सीआईएफ) आधारित आयात मूल्य, जहाँ ₹351 प्रति किलोग्राम या उससे अधिक है, को छोड़कर संशोधन करके "मुक्त" से "प्रतिबंधित" किया जिससे भुनी हुई सुपारी के लिए आयात की

शर्तों को सुपारी के लिए लागू शर्तों के अनुरूप लाया गया और न्यूनतम आयात मूल्य (एमआईपी) की धोखाधड़ी को रोका गया। सुपारी और भुनी हुई सुपारी के लिए आयात नीति की शर्तों के संरेखण के साथ, वैकल्पिक प्रशुल्क वर्गीकरण के तहत आयात से जुड़ी चिंताओं का समाधान कर दिया गया है, जिससे दोनों उत्पादों के लिए एक समान नीतिगत रूपरेखा सुनिश्चित की गई है।

सरकार आयातित माल की संभावित गलत घोषणा या गलत वर्गीकरण के मामलों के संबंध में सतर्क रहती है। ऐसे किसी भी मामले को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 और अन्य लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा निपटाया जाता है।

सुपारी की घरेलू कीमतें कई कारकों से प्रभावित होती हैं, जिनमें घरेलू उत्पादन, मांग-आपूर्ति की गतिशीलता, गुणवत्ता, मौसमी आगमन और बाजार की स्थिति शामिल हैं। सरकार लगातार घरेलू बाजार की स्थिति की निगरानी करती है और हितधारकों के साथ जुड़ी रहती है।

मानव उपभोग के उद्देश्य से तैयार की गई सुपारी सहित सभी आयातित खाद्य खेपों को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के लागू प्रावधानों का अनुपालन करना आवश्यक है। ऐसी खेपें, जहां भी लागू हो, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) द्वारा विनियामक जांच के अध्यधीन है,साथ ही, निर्धारित जोखिम प्रबंधन ढांचे के तहत सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय, खुफिया जानकारी पर आधारित कार्रवाई के माध्यम से जांच और पत्तनों तथा भूमि सीमा शुल्क स्टेशनों पर नियमों के उलल्लंघन पाये जाने पर उचित कार्रवाई के अधीन हैं।

सरकार समय-समय पर अपने अंतरराष्ट्रीय दायित्वों के अनुरूप और घरेलू उत्पादकों, उपभोक्ताओं तथा अन्य हितधारकों के हितों को ध्यान में रखते हुए सुपारी पर लागू नीतिगत शर्तों सहित अपनी आयात नीति और मुक्त व्यापार समझौतों के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं की समीक्षा करती है।
